कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 36/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस - नोट

दिनांक : 24.01.2026

जनपद : आजमगढ़

पुलिस लाईन परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस परेड का सफल पूर्वाभ्यास, भव्य आयोजन की तैयारियाँ पूर्ण

आज दिनांक 24.01.2026 को पुलिस लाईन्स आजमगढ़ में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली भव्य परेड के दृष्टिगत पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) का आयोजन किया गया। यह पूर्वाभ्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व एवं निर्देशन में सम्पन्न हुआ। पूर्वाभ्यास के दौरान परेड की अनुशासनात्मक तैयारी, समन्वय, मार्च पास्ट, सलामी एवं टुकड़ियों की एकरूपता का गहन अभ्यास कराया गया। परेड में कुल 10 टोलियों ने प्रतिभाग किया, जिनका नेतृत्व निम्न अधिकारियों द्वारा किया गया—

- ➡ प्रथम परेड कमाण्डर – प्रेमसुख दरिया (स0पु0अ0)
- ➡ द्वितीय परेड कमाण्डर – निरीक्षक श्री शशिचन्द्र चौधरी
- ➡ तृतीय परेड कमाण्डर – एस0आई0ए0पी0 अभिषेक सिंह

परेड टोलियों में पु0का0, नागरिक पुलिस, सीईआर, एईआर, महिला पीएसी, होमगार्ड्स, सीटीएस के कर्मियों द्वारा सहभागिता की गई।

इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के विभिन्न विशेष दस्तों द्वारा भी प्रभावशाली सहभागिता की गई, जिनमें— मोटर साइकिल स्क्वायड, वायरलेस दस्ता, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड, डायल-112 (मोटर साइकिल, इनोवा, बोलेरो), ईगल मोबाइल, एण्टी रोमियो स्क्वायड, सर्विलांस टीम, क्यूआरटी/स्वाट टीम (वज्र), कैमो फ्लैग्स वाहन (आधुनिक दस्ता), फायर सर्विस सहित अन्य विशेष दस्ते शामिल रहे।

पूर्वाभ्यास के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा परेड की सलामी ली गई तथा अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय, अनुशासित एवं भव्य स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रेरित किया गया।

➡ जनपद पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट, अनुशासित एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत परेड प्रस्तुति हेतु सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रेस नोट

थाना : बरदह | जनपद : आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति को ₹48,955/- की धनराशि सकुशल वापस कराई गई

दिनांक 21.07.2025 को वादी अजय गुप्ता पुत्र मंगला प्रसाद, निवासी ठेकमा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कॉल कर बीमा कराने के नाम पर ₹76,405/- की साइबर ठगी की गई थी। उक्त घटना के संबंध में वादी द्वारा दिनांक 31.07.2025 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 23107250110392 पंजीकृत कराई गई।

शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए साइबर हेल्प डेस्क टीम, थाना बरदह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ठगी की गई धनराशि में से ₹48,955/- को अभियुक्त के बैंक खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय से प्राप्त फंड रिलीज आदेश के अनुपालन में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त ₹48,955/- की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

जनपद पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता बरतते हुए पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 मनीष कुमार सिंह – थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. आ0 विवेक गिरी – थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
3. म0आ0 मनीषा यादव – थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

➡ जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस–नोट

थाना : जीयनपुर | जनपद : आजमगढ़

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण :-

दिनांक 17.01.2026 को थाना जीयनपुर पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 34/2026 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना थाना स्तर पर प्रचलित थी।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण :-

दिनांक 23.01.2026 को उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र स्व0 गुड्डू राजभर, निवासी थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को रेलवे स्टेशन सिधारी, जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी, बयान व मेंडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)/87 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

01. दीपक राजभर पुत्र स्व0 गुड्डू राजभर, निवासी थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

01. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय – थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
02. का0 प्रदीप गुप्ता का0 हरिकिशन मौर्या म0का0 अन्नू यादव – थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.01.2026
थाना – जहानागंज, जनपद – आजमगढ़
किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का पूर्व विवरण –

दिनांक **23.01.2026** को वादी मुकदमा थाना **जहानगंज**, जनपद **आजमगढ़** द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पोती (उम्र लगभग 14 वर्ष) को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0– 25/26**, धारा **137(2) बीएनएस**, दिनांक घटना **22.01.2026**, समय **07.00 बजे**, बनाम **गोलू राजभर पुत्र विरेन्द्र राजभर**, निवासी **गम्भीरवन दयालपुर**, थाना **जहानगंज**, जनपद **आजमगढ़** पंजीकृत किया गया था। विवेचना उ0नि0 **लवकुश कुमार सोनकर**, थाना जहानगंज द्वारा की जा रही थी।

घटना व गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक **24.01.2026** को उ0नि0 **लवकुश सोनकर** मय हमराही के थाना हाजा से रवाना होकर उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त की तलाश में क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर **सुम्भी नहर के पास**, समय करीब **12.30 बजे**, अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0– 25/26 धारा – 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना – जहानगंज, जनपद – आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

गोलू राजभर पुत्र विरेन्द्र राजभर, निवासी – गम्भीरवन दयालपुर, थाना जहानगंज, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 लवकुश सोनकर
2. का0 अनुप कुमार थाना – जहानगंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस–नोट

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

1. पूर्व की घटना/इतिहास –

वादिनी निवासी **मुहल्ला अटलस पोखरा**, थाना **कोतवाली**, जनपद **आजमगढ़** द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री (उम्र करीब 14 वर्ष) को दिनांक **27.12.2025** को समय करीब **04.00 बजे सायं** अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। वादिनी द्वारा काफी खोजबीन एवं तलाश के उपरान्त भी जब कोई पता नहीं चला, तब इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 03/26**, धारा **87/137(2) बीएनएस**, दिनांक **03.01.2026** को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण –

म0उ0नि0 शशि सिंह मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **हिमांशु गौड़ पुत्र छोटू गौड़**, निवासी **सिविल लाइन**, थाना **कोतवाली**, जनपद **आजमगढ़**, उम्र करीब **19 वर्ष** को **राजघाट तिराहे** से दिनांक **24.01.2026** को समय **10.30 बजे** नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

हिमांशु गौड़ पुत्र छोटू गौड़, निवासी – सिविल लाइन, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 **03/26,** धारा – **87/137(2) बीएनएस,** थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

- म0उ0नि0 शशि सिंह, चौकी प्रभारी बदरका
- हे0का0 धर्मेन्द्र चौधरी थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना – मेंहनगर, जनपद – आजमगढ़

अवैध तमंचा, पिस्टल व कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) –

आज दिनांक **24.01.2026** को उ0नि0 **आदिल खान** मय हमराह आरक्षी **मुकेश चौधरी** एवं आरक्षी **अतुल कुमार शुक्ला** थाना से रवाना होकर वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश व रात्रि गश्त ड्यूटी के दौरान ग्राम **देवईत** पहुंचे, जहाँ रात्रि गश्त में तैनात मुख्य आरक्षी **अनिल कुमार** एवं मुख्य आरक्षी **शिवपूजन यादव** से अपराध एवं अपराधियों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही थी।

इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर तेजी से **गद्दीपुर** की ओर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम **राम रतन यादव पुत्र अलगू यादव**, निवासी **ग्राम गद्दीपुर**, थाना **मेंहनगर**, जनपद **आजमगढ़**, उम्र लगभग **55 वर्ष** बताया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से एक झोले में **एक अदद पिस्टल 32 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 32 बोर, एक अदद तमंचा 303 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 303 बोर एवं 05 अदद खोखा कारतूस 303 बोर** बरामद हुए।

अभियुक्त उक्त अवैध हथियारों के सम्बन्ध में कोई वैध लाइसेंस/प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह गलत संगत में पड़कर बिहार से अवैध हथियार मंगाकर बेचने का कार्य करता है। अभियुक्त का उक्त कृत्य **धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाए जाने पर समय करीब **04.10 बजे** अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया।

उक्त सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर **मु0अ0सं0 27/2026**, धारा **3/7/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण –

दिनांक **24.01.2026** को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **राम रतन यादव** को **गद्दीपुर रोड, ग्राम अहियाई**, थाना मेंहनगर से समय **04.10 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया। जामा तलाशी के दौरान उपरोक्त अवैध हथियार व कारतूस बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

राम रतन यादव पुत्र अलगू यादव निवासी – ग्राम गद्दीपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 55 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

- एक अदद पिस्टल 32 बोर
- दो अदद जिंदा कारतूस 32 बोर
- एक अदद तमंचा 303 बोर
- दो अदद जिंदा कारतूस 303 बोर
- पाँच अदद खोखा कारतूस 303 बोर

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 **27/2026** धारा **3/7/25 आर्म्स एक्ट** थाना – मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 आदिल खान मय उपरोक्त पुलिस टीम, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़